न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौमू (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– संतोष करोल

मु.न. 113/2017

उनवान

भूरामल पुत्र सुरजाराम, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम भूतेडा, तहसील चोमू, जि. जयपुर।

बनाम

1. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी कल्याण सहाय
2. श्रीमती मनभरी देवी पत्नी बिरदीचन्द
3. जगदीश पुत्र-मेघाराम
4. गोपाल पुत्र मेघाराम
5. सागर पुत्र मेघाराम
6. मोती पुत्र मेघाराम
7. भंवर पुत्र लक्ष्मण
8. रामनिवास पुत्र लक्ष्मण
9. रामकिशोर पुत्र लक्ष्मण
10. गुलाबी देवी पत्नी लक्ष्मण

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भूतेडा, तहसील चोमू, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, चोमू, तहसील चोमू, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 19.08.2019

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि वाके ग्राम भूतेडा, तहसील चोमू, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 145 के हाल खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1772 रकबा 1.49 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 2.34 हैक्टेयर प्रार्थी की भूमि निहित हैं।

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चोमू के आदेश से दिनांक 28.07.2016 को श्रीमान तहसीलदार चोमू के आदेश कमांक/भू0अ0/सीमाज्ञान/16/841 दिनांक 01.06.2016 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पहुंच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खसरा नम्बर 1271 व 1767 में स्थित गैर मुमकिन चाह को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान को समझाई गई तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर 1233, 1772 की भूमि वर्णित मद नम्बर 1 की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की हिस्से की खातेदारी भूमि हैं, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 प्रार्थी को उसके कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की भूमि का प्रार्थना पत्र में वर्णित की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडौसी खातेदार व्यक्ति हैं, जिस

Scanned by CamScanner

कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जे शुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि श्रीमान तहसीलदार चोमू के सीमाज्ञान आदेश दिनांक 28.07.2016 को आदेश क्रमांक /भू0अ0/सीमाज्ञान/16/841 दिनांक 01.06.2016 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पहुंचकर उपस्थित व्यक्तियों के समकक्ष खसरा नम्बर 1271 व 1767 में स्थित गै0मु0 चाह का आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान की सहमति से सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार कर खसरा नम्बर 1233 व 1272 की सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार किया जाना स्वीकार हैं। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1233 व 1272 की भूमि की सीमा पर पत्थरगढी की जाती है तो हमे कोई उज्र व ऐतराज नहीं हैं। तथा पत्थरगढी करवाने हेतु पूर्णतया सहमत हैं।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली, जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के द्वारा सीमाज्ञानुसार पत्थरगढी करने हेतु सहमति दी हैं। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 28.07.2016 को पटवारी हल्का भूतेडा द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 28.07.2016 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संतोष करोल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner